

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 केवी0 आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाइन हेतु जनपद अलीगढ़ में प्रभावित 0.5464 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों का पातन, जनपद हाथरस में प्रभावित 1.7094 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 28 वृक्षों का पातन, जनपद एटा में प्रभावित 0.2243 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों का पातन, जनपद फिरोजाबाद में प्रभावित 1.1315 हे0 आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद आगरा में प्रभावित 0.4996 हे0 आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद बुलन्दशहर में प्रभावित 0.1912 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 4.3024 हे0 आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 115 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव स0-एफ.पी./यू.पी./TRANS/41685/2019)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी 50/81-2-2020-800(58)/2020, दिनांक 26 जून 2020 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव

नाम औराण्डमान जलवायु
सरकारी महिर्
उत्तर प्रदेश शासन